(वाद सं0–6532/4/6/2021)

19.05.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, रामदेव पंडित, सेवानिवृत, सहायक अवर निरीक्षक द्वारा पटना के हार्ट हॉस्पीटल, कंकड़बाग में दिनांक–19.03.2015 से दिनांक–31.03.2015 तक करायी गयी चिकित्सा का सरकार द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि उपरोक्त चिकित्सा कुल व्यय राशि 2,03,374.00/–रुपये हुयी थी लेकिन अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना द्वारा कुल–1,94,009/–रुपये अनुमान्य पाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उक्त अनुमान्य राशि का भुगतान उसे अब तक नहीं किया गया है।

उपरोक्त पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित पुलिस उपाधीक्षक (मु0), पटना के प्रतिवेदनानुसार वर्त्तमान चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में आवंटन के अभाव में परिवादी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की अनुमान्य राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है। पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना से आवंटन की मांग की गयी है। आवंटन प्राप्त होते ही उपरोक्त राशि की निकासी कर परिवादी के बचत खाता में उक्त राशि जमा करा दी जायेगी।

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि उसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति की अनुमान्य राशि का संबंधित प्राधिकार द्वारा भुगतान किया जा चुका है तथा वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति की अनुमान्य के भुगतान राशि से संतुष्ट है।

अब, जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक